न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः—67 / 2024

1. रामस्वरूप
2. देशराज
3. समय सिंह पुत्रान रघुवीर जाति गूजर निवासी कुन्देर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयवीर
2. निर्भान पुत्रान रघुनाथ जाति गूजर निवासी कुन्देर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट।
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट।

निर्णय **दिनांकः—08.05.2026**

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1049 रकवा 0.45है0 बाके ग्राम कुन्देर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी हम प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है जिस पर हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सामूहिक रूप से काश्त करते चले आ रहे है एवं उक्त आराजी का अभी तक राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी रास्ते के सहारे एवं गांव की आबादी के नजदीक होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी के कीमती एवं फ्रन्ट के हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाहते है। दिनांक 8.7.2024 को जब प्रार्थीगण उक्त आराजी की देखभाल करने गये तो तभी अप्रार्थीगण मौके पर मजदूरों को लेकर आ गये एवं विवादित आराजी के कीमती हिस्सों पर पक्का निर्माण करने के लिये पत्थर आदि डाल दिये एवं नींब खोदना शुरू कर दिया जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कैबियटदार अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी का काफी अर्सा पूर्व ही मनवट के आधार पर विभाजन हो गया था एवं मनवट के आधार पर ना की सामुहिक रूप से उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त की जा रही है। आराजी खाता संख्या 91 में आराजी खसरा नम्बर 1049, 1203, 1211, 1212, 500, 590, 591 मनवट विभाजन के आधार पर अप्रार्थीगण के हिस्से में आयी थी एवं खसरा नम्बर 1151 / 1564, 1373, 179, 180, 361, 362, 43, 598 मनवट विभाजन के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से में आयी थी उक्त आराजी के अलावा भी खाता संख्या 89, 90, 270, 268, 271, 93

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त सभी नम्बरों का भी विभाजन मनवट के आधार पर अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारन के मध्य हो चुका है। चुंकि अब प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गई जिसके कारण उन्होंने ने उक्त मनवट विभाजन को व अन्य आराजी को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। चुंकि आराजी विवादित का वर्षों पूर्व आपसी सहमति से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य विभाजन हो चुका है एवं सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्सानुसार मनवट के आधार पर मौके पर अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सहखातेदारन को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जा सकता है प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी बाके ग्राम कुन्देर में स्थित है जोकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की पैत्रिक आराजी है चुकि उक्त आराजी का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है एवं उक्त आराजी पर सहखातेदारी सामुहिक रूप से काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर आबादी के नजदीक एवं रोड के सहारे स्थित होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी के कीमती हिस्सों पर कब्जा कर पक्का निर्माण कराना चाहते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाते हुये पेश किया है। जबकि उक्त आराजी विवादित का वर्षों पूर्व ही मनवट के आधार पर विभाजन हो चुका है एवं मनवट के आधार पर उक्त खसरा नम्बर अप्रार्थीगण के हिस्से में आया था। परन्तु प्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण उक्त आराजी को हडपना चाहते है। जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त खाता संख्या 91 की आराजी के अलावा खाता संख्या 89, 90, 270, 268, 271, 93 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है एवं सभी खाता संख्या में वर्णित आराजी का मौके पर मनवट के आधार पर बटबारा हो चुका है एवं सभी सहखातेदार अलग–अलग मनवट के आधार पर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा विभाजन हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें खाता संख्या 91 के अलाबा अन्य सभी खाता नम्बरों में वर्णित आराजी को छोडा गया है जबकि विभाजन हेतु बाद पत्र सभी नम्बरों के बाबत् पेश किया जाना चाहिए था। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाते हुये प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 वाके ग्राम कुन्देर का अवलोकन किया गया। जबाव अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के जबाव के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 बाके ग्राम कुन्देर के खाता संख्या 89, 90, 91, 93, 268, 270, 271 का अवलोकन किया गया। उक्त सभी खातों में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ विवादित आराजी में मौके पर निमार्ण एवं सामुहिक काश्त से संबंधित

सहायक कलेक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

कोई भी दस्ताबेज प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है एवं सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)